International Research Journal of Human Resources and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor- 5.414, Volume 6, Issue 01, January 2019
Website- www.aarf.asia, Email : editor@aarf.asia , editoraarf@gmail.com

नासिरा शर्मा के कथा-साहित्य में नारी-विमर्श एक विवेचन एवं नारी शिक्षा

डॉ० नीलम
असिस्टेंट प्रोफेसर हिन्दी विभाग
धर्म ज्योति महाविघालय, ताहरपुर, इगलास, जिला-अलीगढ़

नासिरा शर्मा जी कथा साहित्य में नारी-विमर्श एक विवेचन चिंतन को एक आधार भूत तथ्य बनाया है। नारियों के मताधिकार तथा प्रजनन सम्बन्धी समस्याओ, अधिकारो घरेलू हिंसा, समानता सम्बन्धी अधिकार नारी सदियों से दासी, देवी, भार्या, रमणी आदि तो रही है परन्तु मानवी किसी भी कोण पर नहीं रही है। इस उत्तर आधुनिक युग में उसे मनुष्य बनाने के आग्रह ने नारी चेतना को जन्म दिया है जिससे नासिरा शर्मा जैसी नारीवादी लेखिकाओं और नारीवादी विमर्श का श्री गणश हुआ है।

नारी-विमर्श की अवधारणा

आदिकाल से लेकर आज तक भारतीय नारी के स्थान को लेकर चिंतन तथा बहस हो रही है यह एक ऐसी बहस है जो बिना रूके निंरतर चलती आ रही है। भारतीय नारियों की स्वतंत्रता का विचार बहुत पुराना है ये अलग बात है कि तब उसे नारी-विमर्श या स्त्रीवादी साहित्य जैसे खाँचे में बैठाकर देखा नहीं जाता था। सृष्टि के प्रारंम्भ से लेकर नारी के जनक रूप तथा रति रूप की मुख्यता दी जाती रही। हर समय एवं परिस्थिति के अनुसार नारी की दशा को सुधारने में उन्हे प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाने एवं उनके जीवन की विविध समस्याओं को सुधारने के प्रयास होते रहे है।

नारी का स्वास्थ्य

भारत उन चुनिंदा देशों में से है, जहाँ पुरूष तथा स्त्री के आयु सीमा लगभग समान नहीं है। महिलाओं की आयु सीमा कम होने का सीधा कारण है उनके स्वास्थ्य की समस्या और यह समस्या उनके शरीर से ज्यादा उनकी सामाजिक हैसियत के कारण विद्यमान है। इसके बावजूद ढेर सारी अपेक्षाओं के लिए महिलाओं की

© Associated Asia Research Foundation (AARF)

सामाजिक स्थिति के अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया है कि परिवार-निमार्ण में महिलाओं की भूमिका को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है और उन्हे आर्थिक बोझ की तरह से पेश किया जाता है। भारत में लड़कों को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है क्योकि उन्हें उत्तराधिकारी माना जाता है तथा परिवार चलाने की जिम्मेदारी उनसे ही जुड़ी मानी जाती है। लड़कों को दी जाने वानी यह अहमियत अक्सर लडकियों के दुर्व्यवहार का कारण बन जाती है तथा महिलाओं में शिक्षा की कमी एवं औपचारिक श्रम शक्ति प्रतिभागिता की कमी भी होती है। कुछ अध्ययन यह दर्शाते है कि ऐसा उनकी अधीनता के कारण होता है। पहले तो पिता, फिर पति, अंत में पुत्र पर आश्रित होने के कारण यह स्थिति पैदा होती है।

खराब स्वास्थ्य की प्रतिक्रिया केवल महिला पर नहीं होती है बल्कि उससे जुड़े नवजात शिशु पर भी पड़ती है। खराब स्वास्थ्य की स्त्री बहुत कमजोर बच्चे को जन्म देती है। कुल मिलाकर महिला का खराब स्वास्थ्य पूरे परिवार के आर्थिक ढाँचे पर खतरा पैदा कर देता है। खराब स्वास्थ्य के कारण महिला श्रम शक्ति में कम कारगर साबित होती है। जब भारत में महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर खतरे से जूझ रही है, यह आवश्यक हो जाता है कि पाँच चीजों पर अनिवार्य ध्यान दिया जाए- प्रजनन स्वास्थ्य, महिलाओं के प्रति हिंसा, पौष्टिक स्थिति स्त्री-पुरूष के बीच का भेदभाव तथा स्त्री-शिक्षा। भारत में व्यापक सांस्कृतिक, धार्मिक विभिन्नता तथा भारतीय राज्यों और संघ प्रदेशों के बीच के विकास के स्तर के कारण प्रदेश स्तर पर उनकी स्वास्थ्य स्थिति बदलती रहती है।

प्रजनन स्थिति

भारत में महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति की समस्या मुख्य रूप से उनके प्रजनन संबंधी समस्या पर आधारित है। भारत में कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रजनन की स्थिति में महिलाओं की मृत्यु होना आम है। उनकी प्रजनन दर नीचे गिर रही है। २००५-०८ की रिपोर्ट के अनुसार यह दर २.७ प्रतिशत नीचे गिरा था। लेकिन यह भी है कि यह दर भले ही पूरे भारत की हो किन्तु प्रत्येक राज्य में यह स्थिति भिन्न हो जाती है। भारत तथा विहार जैसे पिछड़े राज्यों में यह प्रति महिला पर ४ बच्चे का या किन्तु केरला जैसे विकसित राज्य में यह २ से कम था। हालाँकि यहां यह बात ध्यान देने लायक है कि प्रजनन दर बढ़ने का कारण लड़के पाने की अधिक चाहत है। महिला तथा उसके पति को अधिक से अधिक लड़के पा जाने की चाहत में यह आवश्यक रूप से महिला के स्वास्थ्य पर नाकारात्मक असर डालता है। सर्वेक्षणों और विवेचनों से यह साबित हुआ है कि लगातार तथा बहुत त्वरित गति से गर्भवती होने से महिला कुपोषण का शिकार हो जाती है, जिसका प्रभाव न उसके ऊपर पर बल्कि पैदा होने वाले बच्चे पर भी पड़ता है। अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाने के लिए असुरक्षित

गर्भपात भी महिला के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालते है। महिलाओं में प्रजनन कम होना उनके स्वास्थ्य पर साकारात्मक असर डाल सकता है और इसके लिए सुरक्षित तथा भरोसेमंद गर्भनिरोधक दवाईयों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि भारत में परिवार नियोजन की जानकारी लगभग सार्वभौमिक है फिर भी ४६ प्रतिशत महलिाओं, जिनकी उम्र १५ से ४७ वर्श के बीच की ही है, आधुनिक गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल करती है।

कुपोषण की समस्या

मीरा चटर्जी ने अपने लेख में भारतीय नारियों के स्वास्थ्य के प्रति गंभीर खतरे के रूप में कुपोषण की समस्या पर कई तथ्यात्मक रूखों को स्पष्ट किया है। कुपोषण की समस्या न केवल महिलाओं के जीवन को खतरे में डालती है बल्कि उनके बच्चे के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालती है कुपोषण की शिकार महिलाओं की स्थिति और बदतर होती जाती है जब अति मात्रा में काम करती है तथा गरीबी का बोझ उठाए फिरती हैं। यह कुपोषण की समस्या उन्हें मौत के मुँह में धकेल देती है। हालाँकि कुपोषण की समस्या भारत के लगभग हर गरीब में पायी जाती है किन्तु औरतें उसमें सबसे अधिक हैं। इस समस्या से वे बचपन में ही ग्रस्त हो जाती हैं और उम्रभर उससे मुक्त नहीं हो पाती हैं। औरतें तथा लड़कियों प्रायः घर में सबसे आखिर में खाती है। अतः खाना समाप्त हो जाने की स्थिति में उन्हे भूखा रहना पड़ता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार बहुत-सी स्त्रियों का कुपोषण के कारण कभी भी पूर्ण शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। यह अपूर्ण शारीरिक विकास स्त्रियों की प्रगति की राह का बड़ा रोड़ा बन जाता है।

हमने देखा कि स्त्रियों की अधिकतर समस्या उनके शिक्षित होने या न होने से जुड़ी है। कुपोषण की समस्या में भी शिक्षा की कमी एक बड़ा कारण है।

कन्या भ्रूण हत्या

भारत में स्त्री को जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक प्रकार के उत्पीड़न व हिंसा का शिकार होना पड़ता है। असमानता, उत्पीड़न व हिंसा की यह यात्रा उसके जन्म से पूर्व की कन्याभ्रूण हत्या के रूप में शुरू हो जाती है और उससे यदि बच भी जाये तो कन्या शिशु की हत्या करने वाली अनेक प्रथाऐं भी मौजूद हैं। परिवार-व्यवस्था के अन्तर्गत माँ व पुत्री दोनों को कन्या पैदा करने के लिए दोषी ठहराये जाने, शिक्षा, अन्य इलाज व अन्य सामाजिक भेदभाव, निर्णय की स्वतंत्रता के हनन से होते हुए दहेज, यौन शोषण, बलात्कार व हत्या आदि पर आकर ही उसकी यह जीवन यात्रा समाप्त होती है। यह भयानक कटु सत्य आज भी भारतीय नारी-जीवन का हिस्सा बना हुआ है। नारी-उत्पीड़न का एक अन्य 'कन्याभ्रूण'-हत्या के रूप में सामने आया है। सन् १६८० के दशक में विकलांगता जांचने के लिए प्रारम्भ किए गए परीक्षण का इस्तेमाल लिंग जानने के लिए किया जाने लगा। ''एक अनुमान के अनुसार सन् १६७८ से सन् १६८३ के बीच लगभग ७८,००० स्त्री-भ्रूणों का गर्भपात किया

गया।'' अल्ट्रासाउंण्ड तकनीक आने से इन मामले में और भी बढ़ोत्तरी देखी गई। इतनी बड़ी संख्या में कन्या-भ्रूण हत्याओं ने नारिवादियों का ध्यान खींचा और इसका कड़ा विरोध भी किया गया। सन् १९८४ में मुंबई फोरम अगेन्स्ट सैक्स डिटरमिनेशन एण्ड सेक्स प्री-सिलेक्शन (FASDSP) का गठन हुआ इसका उदेश्य ammiocementesis परीक्षण के दुरूपयोग को रोकना था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट ने बताया मुंबई में सन् १९८४ में कन्या भ्रूण-हत्या के ४०,००० मामले प्रकाश में आए हैं तथा तमिलनाडु में छः जनपदों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रो से प्राप्त आंकड़ो के अनुसार सन् १९९५ में ३१७८ मामलों में कन्या-भ्रूण को नष्ट कर दिया गया। ''तमिलनाडू में मदुरै की उसिलपट्टी तहसील में कल्लार जाति'' में कन्याओं को पैदा होते ही मार देने की प्रथा काफी पुरानी है। सन् १९९० में प्रो९ ताराबाई शिंदे ने एक सर्वेक्षण में पाया कि सन् १९८९ मे इस स्थान पर ही २०० कन्याओं की हत्या कर दी जाती है। ''न सिर्फ दक्षिण भारत बल्कि देश के अन्य भागो-उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि में भी कन्या-भ्रूण व कन्या शिशु-हत्या की अनेक प्रथाऐं प्रचालित है। सन् १९८७ में महिला समूहो ने भ्रूण- लिंग-परीक्षण के विरोध में आंदोलन शुरू किया। सन् १९८८ में महाराष्ट्र में इसके खिलाफ एक बिल पास किया गया, जिसमें औरतों और डॉक्टरों दोनो को ही दोषी होने पर दंड का प्रावधान है। बाद में सत्र् १९९४ में केंद्रीय सरकार ने भी कानून बनाया किन्तु आज तक किसी भी डॉक्टर या उसके क्लीनिक का लाइसेंस इस कानून का उल्लंघन करने के लिए निरस्त नहीं किया गया है। हमारे देश में जहाँ एक लड़के का जन्म खुशी, प्रतिष्ठा व गर्व का अवसर उपलब्ध कराता है, तो वहीं लड़की का जन्म शर्म व बोझ का। जब तक होने वाली संतान को संतान के रूप में नही, बल्कि लड़के-लड़की के भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण से देखा जाएगा कन्या-भ्रूण व कन्या हत्या को नहीं रोंका जा सकता। यह देश के अभिशाप के रूप में जारी रहेगी, कभी प्रतिष्ठा के नाम पर कभी खानदान के वारिस और कभी प्रथा के नाम पर लाखो कन्याओं की बली चढ़ाई जाती रहेगी।

दहेज से जुड़ा उत्पीड़न

सन् १९७० के दशक से लेकर आज तक नारी इन अत्याचारों के विरूद्ध आवाज उठाती रही है। सन् १९७९ में समाज की सबसे बड़ी लागत-दहेज के खिलाफ आंदोलन कर शुरूआत दिल्ली में हुई, जो सन् १९८२ तक चला। इसी दौरान दहेज विरोधी चेतना मंच का उदय हुआ। 'ओम स्वाहा' नामक नुक्कड़ नाटक पूरी दिल्ली में, विशेष रूप से वहाँ, जहाँ दहेज हत्या की अधिक शिकायतें आ रही थी, दहेज को रोकने के लिए 'जनवादी महिला' समितियाँ बनाई गई। इस आंदोलन का प्रचार उच्च स्तर पर किया गया इसके अर्न्तगत यह संदेश दिया कि दहेज-निषेध है।

अधिनियम सन् १९६१ को सन् १९८४ में संशोधित किया गया और दहेज की रकम की सीमा निर्धारित की गई किंतु प्रतिबंध नहीं लगाया गया। इस संशोधन का दहेज के व्यवहारिक रूप पर कोई प्रभाव नहीं पडता और यह आज भी हमारे समाज का अभिशाप बना हुआ है। नेशनल क्राइम व्यूरो के अनुसार जहाँ सन् २००६ में दहेज हत्या के ७६१८ केस दर्ज किये गए वहीं सन् २०११ तक यह संख्या बढ़कर ८,३८३ हो गई है। ये तो वे आंकड़े हैं, जो केस के रूप में आते हैं, इसके अलावा भी न जाने कितनी दहेत हत्याऐ ंतो दर्ज हुए बिना ही रह जाती हैं। इसका कारण है, देश के दहेज संबंधी कानूनों का अत्यंत लचर होना है। ''अरविंद जैन के अनुसार'' बधू-दहन या 'दहेज हत्या' के किसी भी मामले में, ऐसे असामाजिक रूप से घृणित प्रकृति के अपराध करने पर भी, अपराधियों को सर्वोच्य न्यायालय ने सजा-ए-मौत नहीं दी, जबकि वे मृतक की अत्यंत अमापवीय और जघन्य रूप से हत्या करने के दोशी पाए'' इतना ही नहीं अधिकांश अभियुक्त अफसर, न्यायालय के निर्णय के बाबजूद, जेल से बाहर रहकर दूसरी शादी कर बिना किसी अपराध भावाना के सामान्य जिंदगी जी रहे होते हैं। स्पष्ट है, वैसे-वैसे रूढ़िवादी सामाजिक पंरपराएँ अपनी जगह। जब तक समाज के नजरिए में परिवर्तन नहीं आएगा औरतें इसी प्रकार दहेज की आग में जलती रहेंगी।

यद्यपि समाज में नारी पूजनीय रही है, वहां कानून का भय दिखाना उचित नहीं कहा जा सकता है पर हम तथ्य की अवहेलना भी नहीं कर सकते कि समाज में एक ऐसा वर्ग भी है जो घरेलू महिलाओं व बच्चों को अपनी जागीर समझ परंपराओं का हवाला देते है और उनका शोषण करते हैं तथा इस संबंध में कोई कानून न होने पर वह अपनी हदें पार भी कर जाते है। यह सही है कि घरेलू पारिवारिक झगड़ों को सुलझाने के लिए मेल-जोल और सद्भाव को आधार बनाया जाना चाहिए पर अतंतः हिंसा को भले ही वह पिता या पति द्वारा हो एक सभ्य समाज की निशानी नहीं कहा जा सकता और घरेलू हिंसा निषेध कानून इस संदर्भ में मील का पत्थर साबित होगा।

यह कहा जा सकता है कि स्त्री पर होने वाली हिंसा की यह प्रक्रिया घर की देहरी को लांघकर संपूर्ण समाज को अपनी गिरफ्त में लेती जा रही है। आज छोटे परदे से लेकर बड़े परदे तक एवं अखबारों, पत्र-पत्रिकाओं सभी में नारी देह को भोग्या ही प्रस्तुत किया जाता है। नग्न देह लिए वह उत्पाद की प्रचारक बन गया है। समाज फार्लट फ्रेंडशिप क्लब, सौन्दर्य प्रतियोगितायें और इंटरनेट के जरिये स्त्रियों की देह को निशाना बनाया जा रहा है। चाहे सौन्दर्य उद्योग हो या सिनेमा अथवा व्यवसाय सब पर पुरूषों का कब्जा है। इसलिए उन्होंने नारी शरीर को अपना निशाना बनाया है। आज नारी को उत्पीड़न से बचाने के लिए पुरूष के साथ-साथ नारी को भी अपनी मानसिकता में बदलाव लाना है। परंपरागत मानसिकता को त्यागना होगा तथा महिलाओं को

भी अधिक महत्वाकांक्षा का त्याग कर व्यावहारिक धरातल पर कुछ समझौते करने होंगे। नारी को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों में तालमेल बिठाना होगा।

नारी-शिक्षा

किसी भी राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है जिस देश के लोग शिक्षित नहीं होते है वहां पर आर्थिक और सामाजिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। हमारे देश में भी शिक्षा की कमी है हमारे भारत देश के पुरूष प्रधान देश होने के कारण ज्यादा मात्रा में पुरूष पड़े हुए हैं लेकिन महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं मिलने के कारण आज शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं पिछड़ी हुई है। हमारे देश में महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है लेकिन जब बात शिक्षा की आती है तो रूढ़िवादी विचारों परिवारिक परंपराएं बीच में आ जाती है यह बहुत ही विडंबना का विषय है।

भारत का प्राचीन आदर्श नारी के प्रति अतीत श्रद्धा और सम्मान का रहा है। प्राचीन काल से नारियों पर गृहस्थी का भार ही नहीं रहा है बल्कि वे समाज, राजनीति, धर्म, कानून, न्याय, सभी क्षेत्रों में व पुरूष की संगिनी के रूप में सहायिका व उनकी प्रेरणा का केन्द्र भी रही हैं परन्तु समय के बदलाव के साथ नारी पर अत्याचार व शोषण का आंतक भी बढ़ता रहा है। नारी पारिवारिक ढाँचे की यथास्थिति से समझौता करती रही है। यहां तक कि वह शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक सभी स्तरों पर उपेक्षित जीवन व्यतीत करती है। जब बात शैक्षणिक शोषण की होती है तो एक ही सवाल सामने उभरता है कि अगर नारी को शोषण और अत्याचार से मुक्त करना एवं कराना है तो सबसे पहले उसे शिक्षित करना होगा। चूंकि शिक्षा का अर्थ केवल अक्षर-ज्ञान ही नहीं होता बल्कि अपनी चेतना को विकसित करना भी होता है तथा अपने मूलभूत अधिकारों को जानना भी होता है। हालाँकि आज समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है, जो अशिक्षित है तथा मूल रूप में चूल्हे-चौके तक ही सीमित है। इन्हीं स्थियों के लिए गायत्री चरवहीं स्पीवाक ने शिक्षित कर उनकी आवाज को खुद उनके ही मुँह से सुनने की बात अपने विश्व-प्रसिद्ध निबंध में कहा था। सवाल यह उठता हैं कि उनकी स्थिति में कितना सुधार हो रहा है? शिक्षा के अभाव में जीने के लिए स्त्री असभ्य, अयोग्य संकीर्ण रह क्यों जाती है? इसके पीछे कौन है? इसका कारण है समाज में पुरूष स्वयं को शिक्षित सुयोग्य एवं समुन्नत बनाकर नारी को अशिक्षित, अयोग्य एवं परतंत्र रखना चाहता है। यही कारण है कि नारी-शिक्षा के अधिकार की जब बात आती है तो नारी अपनी दयनीय स्थिति का जिम्मेदार पुरूष को मानकर उसके प्रति विद्रोह भाव रखते हुए उसे अपना प्रतिद्वन्द्वी समझ लेती है वास्तविकता यह है कि इस स्थिति की जिम्मेदारी पुरूष प्रधान समाज द्वारा बनाए नियम रीति रिवाज, मान्यताएं एवं परम्पराएं और रूढियाँ है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्राचीन काल से चली आ रही मान्यताओं

में आबद्ध होकर नारी की शिक्षा के अधिकार से वंचित न किया जाए। इस प्रकार के पुरूष प्रधान समाज में वह आत्म-बोध एवं आत्म-सम्मान से वंचित आजीवन बंदिनी के रूप में घर की चार दीवारी में कैद, चौके-चूल्हे तक सीमित रहकर पुरूषों की संकीर्णता का दण्ड भोगती हुई मिटती चली आ रही है। यह मर्दवादी समाज नारी को अशिक्षित रखकर उसके अधिकार एवं अस्तित्व बोध से परिचित नहीं होने देना चाहता है। वह उसे घर के अन्दर तक ही सीमित कर देना चाहता है। प्राचीन काल सेही नारी के प्रति समाज का यह दृष्टिकोण रहा है कि नारियों को पढ़ने की क्या जरूरत, उन्हे कोई नौकरी-चाकरी तो करनी नहीं, उसके लिए तो घर गृहस्थी का काम सीख लेना ही पर्याप्त है। एक तरह से समाज की यह विचारधारा ही शैक्षणिक-शोषण के आधार को और भी मजबूत कर देता है।

हमारे देश में नारी शिक्षा की बहुत कमी है अगर हमारे समाज और सरकार द्वारा प्रयास किया जाए तो हमारे देश की सभी महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी जिससे देश का विकास दुगनी तेजी से होगा, हमें हमारी समाज के लोगों को नारी शिक्षा के प्रति जागरूक करके अपना सहयोग देना चाहिए, अगर महिलाएं पढ़ी लिखी होगी तो संपूर्ण समाज पढ़ा लिखा होगा महिलाएं अपना जीवन शोषण मुक्त और सशक्त होकर जी पाएंगी।

संदर्भ-ग्रंथ सूची

१. डॉ. रेणुका नैयर, नारी स्वातंत्र्य के बदलते रूप, पृ. १२८, अभिषेक पब्लिकेशन्स, चंडीगढ़ १९९८, प्रथम संस्करण
२. उत्तर प्रदेश, मई २००३, पृ. २१६
३. सं० डॉ० एम० फीरोज ख़ान, नारी विमर्श : दशा और दिशा, पृ. ५८
४. सं० डॉ० फीरोज खान, नारी विमर्श : दशा और दिशा, पृ. ५८
५. जगदीश्वर चतुर्वेदी, स्त्रीवादी साहित्य विमर्श, अनामिका पब्लिशर्स एण्ड डिस्टीब्यूटर्स, नई दिल्ली, पृ. २०४
६. गोप बंधुदास का लेख- नारी शिक्षा-सामाजिक क्रान्ति के दस्तावेज - डॉ. शंभुनाथ, पृ. ९९६
७. अरविंद जैन, औरत होने की सज़ा, राजकमल पेपर बैक्स, नई दिल्ली, परिवर्द्धित संस्करण-२०११, पृ. ११७-११८
८. (संपा.) साधना आर्च, निवेदिता मेनन, जिनी लोकगीता, नारीवादी राजनीति संघर्ष एवं मुद्दे, पृ. २७४
९. अरविंद जैन, औरत होने की सज़ा, पृ. १८४
१०. गोपा जोशी, भारत में स्त्री असमानता, पृ. ३६६
११. (संपा.) कमल कुमार, वसुधा; स्त्री मुक्ति का सपना, अक्टूबर २००३ से मार्च २००४ पृ. २२२
१२. प्रतियोगिता साहित्य, जनवरी २०११, राहुल बंसल-महिला यौन उत्पीड़न रक्षा विधेयक पृ. ४३